

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

चूरू

Rashtradoot

फोन:- 256906, 256907, फैक्स:- 01562-256908

वर्ष: 16 संख्या: 349

प्रभात

चूरू, शुक्रवार 18 अप्रैल, 2025

पो. रजि. न. चूरू/084/2019-21

पृष्ठ 6

मूल्य 2.50 रु.

गुरुवार को दोपहर में राहुल गांधी बॉस्टन के लिए रवाना हो गये

राहुल गांधी बॉस्टन में ब्राउन यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को सम्बोधित करेंगे, प्रवासी भारतीयों व फ्रैन्ड्स ऑफ कांग्रेस के सदस्यों से मुलाकात करेंगे

-रेणु मिश्रल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 17 अप्रैल। राहुल गांधी, जो दिल्ली में यथासंभव कम ही समय गुजारते हैं, गुरुवार शाम अमेरिका के बोस्टन शहर के लिये रवाना हो गये, जबकि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार, 19 अप्रैल को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को एक मीटिंग बुलाई है, जिसमें नैशनल हैरल्ड केस में राहुल तथा सोनिया गांधी के खिलाफ पेश की गई ईडी की चार्जशीट के विरोध के तौर-तरीकों को अंतिम रूप दिया जाना है।

खड़गे ने मीटिंग में सभी एआईसीसी महासचिव, राज्य प्रभारी, सचिव, अग्रणी संगठनों के प्रमुख तथा विभाग प्रमुख बुलाये हैं।

खड़गे द्वारा बुलाई गई पिछली मीटिंग निराशाजनक रही थी, क्योंकि उसमें कई लोग उपस्थित नहीं हुये थे। अनुपस्थित रहे नेताओं में एआईसीसी महासचिव तथा संगठन-प्रभारी के.सी. वेणुगोपाल भी शामिल थे, जो राहुल गांधी के दायें हाथ तथा उनके पीछे की तरह व्यवहार करते हैं, इसीलिये बहुत से कांग्रेस नेता उन्हें असली कांग्रेस

- **राहुल की यह अमेरिका यात्रा उल्लेखनीय इसलिए है, क्योंकि शनिवार को कांग्रेसअध्यक्ष खड़गे ने राज्यों के प्रभारी, महासचिवों, अग्रिम संगठनों के पदाधिकारियों आदि की बैठक बुला रखी है।**
- **इस बैठक में यह निर्णय लिया जायेगा नैशनल हैरल्ड के मसले में, सोनिया गांधी व राहुल गांधी को जो नोटिस दिया गया है, उसके संदर्भ में कैसे विरोध प्रदर्शन किया जाये।**
- **बैठक बुलाना जरूरी इसलिए हो गया क्योंकि पिछली बार विरोध के लिए जो प्रदर्शन आयोजित किये गये थे, वे काफी “फ्लॉप” रहे थे। तथा, कई दिग्गज नेता अनुपस्थित रहे थे। महासचिव के.सी. वेणुगोपाल भी प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए थे, वे गुजरात में राहुल गांधी के साथ थे।**
- **अतः यह अजीबोगरीब बात है, कि, सोनिया गांधी व राहुल गाँधी को मजबूती देने का कार्यक्रम तय करने के लिए आयोजित बैठक में स्वयं राहुल गांधी उपस्थित नहीं होंगे।**

अध्यक्ष कहते हैं, क्योंकि अधिकांश निर्णय वे ही लेते हैं तथा खड़गे के निर्णयों को उलट भी देते हैं। यह मीटिंग राहुल गांधी की

गैरहाजिरी में ही होगी।

दिलचस्प बात यह है कि सोनिया एवं राहुल गांधी को जमानत लेने के लिए राउज़ एवेन्यु कोर्ट में व्यक्तिशः उपस्थित होना पड़ेगा तथा 25 अप्रैल को शुरू हो रही केस की सुनवाई के बाद कुछ भी हो सकता है।

राहुल गांधी अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही, वे वहाँ रहने वाले भारतीयों तथा कांग्रेस के शुभचिन्तकों के साथ “मीट एण्ड ग्रीट” कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में प्रवेश टिकट से होगा।

ईडी की कार्यवाही के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन का अगला राउन्ड संभवतः 25 अप्रैल को होगा, जिस दिन केस की सुनवाई शुरू होगी है। आशा की जा रही है कि इस प्रदर्शन का आयोजन एवं स्वरूप काफी व्यवस्थित होगा तथा इसमें पहले से अधिक नेता शामिल होंगे।

प्रश्न यह पूछा जा रहा है कि आखिर ईडी के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन क्यों? विरोध प्रदर्शन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ क्यों नहीं, जो ईडी के (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

उपमुख्यमंत्री बैरवा को मारने की धमकी देने वालों को जमानत नहीं

जयपुर, 17 अप्रैल। सत्र न्यायालय, जयपुर महानगर, प्रथम, ने डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा को जान से मारने की धमकी देने के मामले में आरोपी वसीम खान, मोहम्मद अशरफ और जुनैद को जमानत देने से इनकार कर दिया है। पीठासीन अधिकारी नंदिनी व्यास ने अपने आदेश में कहा कि जेल में रहते हुए इस तरह की षटना को अंजाम देना, सुरक्षा को चुनौती देने के

- **अदालत ने जेल में रहते धमकी देने को कानून व्यवस्था के लिए चुनौती देना माना।**

समान है। आरोपियों पर जो आरोप लगाए गए हैं, वह कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले और समाज को आतंकित करने वाले हैं। यदि इन्हें जमानत दी गई तो मामले की जांच प्रभावित हो सकती है। इसलिए इन्हें जमानत देना उचित नहीं है।

जमानत अर्जियों में कहा गया कि उन्होंने न तो पुलिस कंट्रोल रूम में (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अब तक किसे व कितनी विदेश शिक्षा छात्रवृत्ति दी गई

जयपुर, 17 अप्रैल। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को शपथ पत्र पेश कर यह बताने के लिए कहा है कि राजीव गांधी विदेश शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के आरंभ होने से लेकर अब तक किन-किन व्यक्तियों को कितनी राशि छात्रवृत्ति के रूप में राज्य सरकार की ओर से दी गई है। अदालत ने यह भी बताने को कहा है कि छात्रवृत्ति देते समय छात्रों की आर्थिक स्थिति क्या थी। जस्टिस अनूप कुमार ढंड ने यह आदेश कुमार मनजीत देवड़ा को याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। अदालत ने मामले की आगामी सुनवाई 21 अप्रैल को तय की है।

- **हाईकोर्ट ने 21 अप्रैल को शपथ पत्र के द्वारा जानकारी देने के निर्देश दिये।**

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता पुनीत सिंघवी ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने प्रदेश के मेधावी और जरूरतमंद विद्यार्थियों को विदेश में अध्ययन कराने के लिए राजीव गांधी विदेश शिक्षा छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत सभी मापदंड पूरा करने पर याचिकाकर्ता का चयन किया गया। वह करीब डेढ़ साल से ऑस्ट्रेलिया में रहकर पढ़ाई कर रही है, लेकिन राज्य सरकार की ओर से अभी तक उसे इस योजना के तहत छात्रवृत्ति नहीं दी गई है। जिसके चलते उसका प्रवेश रद्द हो सकता है और उसका वीजा भी समाप्त किया जा सकता है। इस पर अदालत ने राज्य सरकार से योजना को संपूर्ण जानकारी (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

केन्द्रीय सरकार के वादे के बाद सुप्रीम कोर्ट ने संशोधित, वक्फ विधेयक पर “स्टे” नहीं दिया

बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान, संकेत दिये थे, कि वह विधेयक के कुछ प्रावधानों को “स्टे” करने की सोच रहा है

- **सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जजों के समुख तर्क रखा कि, “प्राइमा फेसिया” रीटिंग के बाद, संशोधित वक्फ विधेयक के प्रावधानों को “स्टे” करना उचित नहीं होगा।**
- **मुख्य न्यायाधीश खन्ना ने यह तर्क स्वीकार करते हुए, पर यह वादा भी मांगा सरकार से कि वक्फ बोर्ड में नवनियुक्तियां, वक्फ प्रॉपर्टी को चिन्हित करना, आदि कार्यवाही नहीं होगी सरकार की ओर से।**
- **सॉलिसिटर जनरल के इस आश्वासन पर कि, सात दिनों में सरकार पूरी जानकारी इकट्ठी करके अपना जवाब पेश करेगी, तथा तब तक वर्तमान स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जायेगा, सुप्रीम कोर्ट ने किसी प्रकार का “स्टे” नहीं दिया।**

जिसमें जस्टिस संजय कुमार तथा के.वी. विश्वनाथन भी शामिल हैं, ने अपने आदेश में कहा कि सुनवाई के दौरान, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता

ने कहा कि “प्रतिवादी एक छोटा-सा जवाब देना चाहेंगे, जो सात दिन के अन्दर पेश कर दिया जायेगा।” “उन्होंने (मेहता) आगे कहा कि संशोधित

प्रावधानों के धारा 9 तथा 14 के तहत कार्डसिल तथा बोर्ड में कोई नियुक्ति नहीं की जायेगी। उन्होंने यह भी कहा कि सुनवाई की अगली तारीख तक, जिसमें वक्फ बाय यूज़र भी शामिल है, चाहे अधिसूचना के जरिये घोषित किया गया हो, या रजिस्ट्रेशन द्वारा, चिन्हित नहीं किया जायेगा, और न उसका स्वरूप या प्रकार ही बदला जायेगा। हमने यह कथन रिकॉर्ड पर ले लिया है। सात दिन के अन्दर, प्रतिवादियों की ओर से जवाब/काउन्टर ऐफिडेविट पेश हो जाना चाहिये। उसके बाद, पाँच दिन के अन्दर उसका जवाब पेश हो जाना चाहिये।”

बुधवार को सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि वह संशोधित वक्फ अधिनियम के कुछ प्रावधानों पर स्टे लगा सकता है इसमें वे प्रावधान शामिल हैं, जो वक्फ बाय यूज़र्स, वक्फ बोर्ड और कार्डसिल के गैर मुस्लिमों को (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अजमेर दरगाह विवाद पर सुनवाई रोकने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर

जयपुर, 17 अप्रैल। अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने के दावे को लेकर अजमेर की निचली अदालत में पेश दावे पर सुनवाई रोकने के लिए राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की

- **गत नवम्बर में सुप्रीम कोर्ट ने सभी अदालतों को पूजा स्थल विवाद पर कार्यवाही जारी नहीं रखने के निर्देश दिये थे। दिसम्बर में अदालत को इसकी जानकारी भी दे दी गई थी पर निचली अदालत ने कार्यवाही जारी रखी।**

गई है। खादिमों की संस्था, अंजुमन सैयद जादगान की ओर से दायर इस याचिका पर आज जस्टिस विनोद कुमार भारवाजी ने एक सप्ताह के लिए सुनवाई (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- सुकुमार साह -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -
नई दिल्ली, 17 अप्रैल। यह एक ऐसा कूटनीतिक संकेत है जो प्रतीकात्मकता, सही समय और राजनीतिक इरादे से भरा हुआ है। भारत की तरफ चीन की हालिया पहल, जैसे वीजा प्रक्रियाओं को आसान बनाना, भारतीय पर्यटकों के लिए शुल्क में कटौती और सांस्कृतिक निमंत्रण देना आदि के बारे में कहा जा रहा है कि ये पैन्डेमिक के बाद के सामान्य आर्थिक प्रयास हैं, जिनका उद्देश्य पर्यटन तथा लोगों के बीच सम्पर्क को बढ़ावा देना है, लेकिन सतह से थोड़ा नीचे जाएं तो स्पष्ट होता है कि इन पहलों में उस बीते युग की गुंज है, जब भारत और चीन ने अपने आपको “हिन्दी-चीनी भाई-भाई के नारे के तहत, एशियाई भाईचारे के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की थी।

1950 के दशक की शुरुआत में

जल्द शुरू होगी कैलाश-मानसरोवर यात्रा

नयी दिल्ली, 17 अप्रैल। भारत और चीन के बीच कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू करने को लेकर जारी तकनीकी बातचीत पूरी हो गई है और जल्द ही सरकार यात्रा को शर्तें और अन्य विवरण सार्वजनिक करेगी।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने गुरुवार को यहां नियमित ब्रीफिंग में एक सवाल के जवाब में कहा

- **भारत और चीन के बीच इस संबंध में चल रही तकनीकी वार्ता पूरी हो गई है। जल्दी ही नोटिस जारी कर घोषणा की जा सकती है।**

कि भारत सरकार कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर जल्दी ही एक नोटिस जारी करेगी। दोनों देशों के बीच यात्रा के तौर तरीकों और शर्तों आदि को लेकर जारी तकनीकी बातचीत में सहमति बन गई है। यह पृष्ठ जाने पर कि लद्दाख में डेमचोक के रास्ते से कैलाश मानसरोवर (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 17 अप्रैल। जब राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के प्रशासन ने इस महीने के आरम्भ में रैसिप्रोकल टैरिफ नीति की शुरुआत की, तो वैश्विक बाजारों में कई व्यापारिक साझेदार देशों से आयात होने वाले उत्पादों पर 10 से 125 प्रतिशत ड्यूटी लगाई गई, जिसका तत्काल विरोध हुआ और बाजारों में उथल-पुथल मच गई। लेकिन इस दुस्साहसी कदम के पीछे जो नाम सबसे प्रमुख था, वह था पीटर नवारो, जो लम्बे समय से व्यापारिक संरक्षणवाद का पर्याय बना हुआ है।

ट्रेड और मैनुफैक्चरिंग के लिए

वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नवारो, ट्रंप के आक्रामक व्यापार हस्तक्षेपों के मुख्य शिल्पकार रहे हैं। प्रशासन की व्यापार नीतियों पर उनका गहरा प्रभाव न तो नया था और न ही संयोगवश। हार्वर्ड-प्रशिक्षित अर्थशास्त्री नवारो वर्षों से आर्थिक राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक रहे हैं। यह एक ऐसा दृष्टिकोण है, जो वैश्विक व्यापार समझौतों की तुलना में राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देता है। चीन को आर्थिक खतरे के रूप में देखने की उनकी धारणा ने उन्हें ट्रंप की आर्थिक टीम में ऊंचे स्थान तक पहुँचाया, जहाँ उनकी संरक्षणवादी नीतियों ने अमेरिकी व्यापार संबंधों में बड़े बदलाव किए।

नवारो की विचारधारा की जड़ें

- **नवारो का चिन्तन है, कि, अन्तरराष्ट्रीय व्यापार में “टैरिफ” की भूमिका अनुचित व्यापारिक तौर तरीकों को रोकने में बहुत महत्व रखती है।**
- **साथ ही नवारो के चिन्तन के अनुसार टैरिफ लगाने से सरकार की आमदनी बढ़ती है।**
- **नवारो, अपनी इस सोच के कारण, ट्रम्प प्रशासन में काफी लोकप्रिय हैं, तथा ट्रम्प प्रशासन के इकॉनमिस्ट नैशनलिस्ट उन्हें अपना वैचारिक गुरु मानते हैं।**
- **पर, मुख्यधारा के इकॉनमिस्ट को नवारो का सोच बहुत “सिम्पलिसिटिक” (साधारण व भावनाओं से प्रेरित) लगा, तर्क व आंकड़ों पर आधारित कम नज़र आया।**

उन्के 2011 की किताब “डेथ बाय चाइना” से जुड़ी हैं, जिसमें उन्होंने चीन

की व्यापार नीतियों को लेकर गंभीर चेतावनी दी थी। इस किताब ने उन्हें आर्थिक राष्ट्रवादियों के बीच लोकप्रिय बना दिया, लेकिन मुख्यधारा के कई अर्थशास्त्रियों ने इसे एकतरफा और अतिरिजित करार दिया। उनका कहना था कि नवारो के तर्कों में डेटा की कमी है और उनके तर्क संतुलित विश्लेषण की बजाय डर फैलाने वाली भाषा पर आधारित हैं।

इसके बावजूद, ट्रम्प सरकार की ट्रेड पॉलिसी को आकार देने में नवारो की भूमिका की अनदेखी नहीं की जा सकती है। उनके मार्गदर्शन में “अमेरिका फर्स्ट” आधारित आर्थिक एजेंडा को एक स्वाभाविक सहयोगी मिला। नवारो

CMYK

● ● ● ●

⊕

● ● ● ●

⊕

● ● ● ●

⊕

● ● ● ●

CMYK

विचार बिन्दु

जो गरीबों पर दया करता है, वह अपने कार्य से ईश्वर को ऋणी बनाता है। –बाइबल

सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन अधिनियम, 2025 की वैधानिकता पर सुनवाई प्रारंभ

वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की धारा 1 (2) के अनुसार अनुसार भारत सरकार ने दिनांक 08.04.2025 से इस अधिनियम को देश में लागू कर दिया है। यह अधिसूचना भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई है। यह अधिनियम 2025 को संसद द्वारा दिनांक 04.04.2025 को पारित किया था और उसे भारत के राष्ट्रपति ने दिनांक 05.04.2025 को स्वीकृति (Assent) प्रदान की थी।

इस वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिकता की 100 से अधिक रिट याचिकाओं में चुनौती दी गई है।

वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 में यह कहा गया है कि इसके प्रावधान 20 करोड़ मुसलमानों के अधिकारों को प्रभावित करते हैं। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी याचिका में इस वक्फ अधिनियम को Religious Autonomy पर असंवैधानिक Assault को संज्ञा दी है। एक अन्य पिटोशन में यह भी कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय को स्वतः भी उस कानून को निरस्त करने का अधिकार है जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों को खंडित करते है। यह भी प्रश्न उठाया है कि क्या पूर्ववर्ती मान्य नजीरों के विरुद्ध है? एक अन्य पिटोशन में चुनौती का आधार यह कहा गया है कि इससे Muslim Community अपनी हो सम्पत्ति से बेदखल कर दी जावेगी। यह पिटोशन केरल Islamic Clerics Body की पिटोशन में कहा गया है। दिल्ली के आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान ने अधिनियम को उभरन्थों की वैधानिक चुनौती दी। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस अधिनियम की वैधानिकता को संविधान के अनुच्छेद 14, 21, 26, 29, 30 के विरुद्ध होने के कारण इसे चुनौती दी गई है। सब समान है, यह संविधान का सार है; परन्तु कुछ पिटोशन का कहना है कि समानता है इस अधिकार को गोंग कर दिया है। Right to Manage the Religious Affairs का आधारभूत उद्घोष है Article 26 में है उनका स्पष्ट अतिक्रम हुआ है। अधिकांश पिटोशनसं में यह कहा गया है Muslim Community के साथ भेदभाव का यह अभूतपूर्व ऐतिहासिक घटना चक्र है।

दिनांक 16.04.2025 के आदेश से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की वैधानिकता को चुनौती देने वाली 9 पिटोशनसु की सुनवाई के हेतु सुचीबद्ध किया है। इसकी सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय संजीव खन्ना, जस्टिस के वी विश्वनाथन व जस्टिस संजय कुमार की खण्डपीठ करेगी। उक्त 9 पिटोशनसं में वे पिटोशनसु हैं जिनमें एआईएमआईएम एएमपी असादुद्दीन ओवैसी, दिल्ली आप एमएलए अमानातुल्लाह खान, एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, जमियत उलेमा-ए-हिन्द प्रेसिडेंट अंसहद मदान, समथ्य केरल जमियत उलेमा, अनुभुम कादरी, तइय्यर खां सलमान, मोहम्मद शमी, मोहम्मद फजलुर्लहीम आदि हैं। इनका शीर्षक है असादुद्दीन ओवैसी बनाम यूनियन ऑफ इंडियन WP (C) No. 209/2025 में ये केनकेटड घरेलू हैं।

अभी तक जो पिटोशनसु प्रस्तुत हुई हैं उनमें निम्नलिखित आपत्तियां वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की वैधता और संवैधानिकता को चुनौती दी गई है। कुछ पिटोशनसु ऐसे भी हैं, जिनमें यह कहा गया है कि संशोधन अधिनियम, 2025 में तामिलनाडु के 50 लाख मुसलमानों व 20 करोड उन मुसलमानों के अधिकार कंठित हो रहे हैं जो देश के अन्य भागों में रहते हैं अतः तामिलनाडु असेम्बली ने यह प्रार्थना भारत सरकार से की है कि कानून को विद्डो किया जावे। कुछ का तो यह भी कहना है कि वक्फ संशोधन बिल की वैधानिकता के बावत पर्याप्त सुनवाई का अवसर न तो जेपीसी ने दिया और न ही संसद ने दिया है। जम्मू-कश्मीर विधानसभा में जो गंगामा हुआ है उससे स्पष्ट है। राज्य की राजनीति केन्द्र की राजनीति को चुनौती देने जा रही है। धर्म जनजाति पर हावी होने जा रहा है।

एक ओर भाजपा ने देश भर में गांव से लेकर शहर, चौड़ी सड़क से लेकर सफ़ाई गली में भी जन जागृति आन्दोलन को घोषणा की है तो दूसरी ओर अल इण्डिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने देश व्यापी आन्दोलन करने की घोषणा की है। बोर्ड देश भर में प्रचार करेगा कि वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 इस्लामिक परम्परा, धार्मिक स्वतंत्रता तथा धार्मिक संस्थाओं की स्वायत्तता पर अक्रमण है, जिसे रोका जावे। दोनों समुदायों का यह आन्दोलन कब क्या विकट रूप ले ले कहना कठिन है।

- कानून रूप से जो वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 को चुनौती दी गई है, वे संक्षेप में इस प्रकार हैं:-
- वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 19, 21, 26, 300ए के विरुद्ध होने से असंवैधानिक हैं।
 - जान बूझकर मुस्लिम कॉम्युनिटी को अपनी ही सम्पत्ति के प्रयोग से, उसके प्रबन्ध से रोका गया है। वक्फ के सामान्य शाब्दिक अर्थ के विपरीत, यह प्रयास किया गया है, कौन सम्पत्ति डोनेट कर सकता है। प्रश्न उठाया गया है भारतीय न्यायिक जुडिशियरी द्वारा स्थापित प्रक्रिया Waqf by user को समाप्त किये जाने के हेतु ही वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 लाया गया है।
 - कुछ पिटोशनसं का कथन है कि वक्फ बिल की प्रक्रिया में जेपीसी ने सभी मान्य Parliamentary Procedure का उल्लंघन किया गया है। जेपीसी ने आपत्तिकर्ताओं को सुनवाई का पूरा अवसर नहीं दिया और प्राकृति न्याय के सिद्धान्त का ब्रीच हुआ है। महुआ मोइत्रा एएमपी की पिटोशन में इस बात विशद चर्चा है और आपत्ति की है कि सही प्रक्रिया न अपनाने से भारत के नागरिकों को न्याय नहीं मिल पाया है।
 - नये संशोधित (Amended) लॉ ने वक्फ संस्थाओं की स्थाना के सिद्धान्तों को ही समाप्त कर दिया है। वक्फ कमेटी के पूरे अधिकार ही सरकार ने अपने कब्जे में ले लिये हैं, जिससे वक्फ के लोकतांत्रिक प्रबन्ध का अधिकार ही मुस्लिम धर्म के अनुरायियों का खण्डित हो गया है।

कानून के विद्वानों से प्रार्थना है कि सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अधिक से अधिक लोग अपना-अपना कानूनी पक्ष रखें जिससे भारत की गंगा-जमुनी सभ्यता को जनहित में प्रगति और विकास की ओर तीव्र गति से बढ़ाया जा सके तथा भारत धर्म निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य सही अर्थों में बना रहे।

- मुस्लिम बन्धुओं की Religious Atonomy पर Unconstitutional Assault है।
- वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 स्पष्टतः माननीय सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णयों में जो सिद्धान्त पारित किये हैं, उनका उल्लंघन करते हैं।
 - Non Muslim को सेंटर वक्फ कौन्सिल व बोर्ड ऑफ वक्फ में शामिल करना स्पष्ट रूप से इंगित करता है हम Secular स्पष्ट नहीं है और हम अपने ही भाईयों पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। संविधान के अनुच्छेद 25 व 27 का यह स्पष्ट उल्लंघन है।
 - यह अधिनियम Islamic Sariat के सिद्धान्त के विपरीत होने से अमान्य है।
 - वक्फ के डोनर के लिये 5 वर्ष का मुस्लिम धर्म मानने वाला प्रावधान, समानता के अधिकार का अर्थात् अनुच्छेद 14 का स्पष्ट उल्लंघन है।

देश में इस समय कई स्थानों पर तोडफोड, आगजनी व पुलिस पर आक्रमण की घटनायें हो रही हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट के एक न्यायाधीश ने राज्य में बिगड़ते हुये हालात को देखते हुये केन्द्रीय बलों की तत्काल तैनाती की अपील की है। वक्फ संशोधन विधेयक के अतिरिक्त शास्य ही अन्य विषय इन दिनों चर्चा का विषय रहा हो।

राज्यम भूमि के केस में धार्मिक पूजा स्थल के कानून को सुप्रीम कोर्ट ने नई दिशा दी है। भाजपा का मानना है कि वक्फ संशोधन विधेयक भी धर्म निपेक्ष देश का कानून है। यह प्रचार हो रहा है कि यह कानू शोषण के विरुद्ध है। यह भी कहा जा रहा है कि गरीबों को इससे न्याय मिलेगा। वक्फ कानून में जो संशोधन हुये हैं, उससे पारदर्शित आयेगा। सम्पत्ति का दुरुपयोग रुकेगा। यह राज्य का विषय है। वक्फ एक्ट में बोर्ड के असौमि अधिकार दिये गये थे जिनके तहत मंदिरों और पूरे गांवों की जमीन ही वक्फ सम्पत्ति रेकॉर्ड की गई है। राज्य कह रहे हैं इन सम्पत्तियों की राशि से गरीब मुसलमानों, विधवाओं और अनाथ बच्चों के कल्याण पर खर्च किये जायेंगे। वक्फ का जो अभिप्राय था पूरा किया जावेगा। वक्फ कानून का अभिप्राय भी यही था कि अचल सम्पत्ति को इसका दान करे और इसके माध्यम से इस्लाम के मानने वाले इसकी धार्मिक व पवित्र भावना को साकारता प्रदान करे। नये कानून का अभिप्राय भी यही है गरीब व विकलांगों को मदद हो ट्रस्ट प्रोपर्टी का सुप्रबन्ध हो सके।

देश का कानून सदैव ही स्पष्ट रहा है कि जिसलिफ कोर्ट का सुनवाई का अधिकार क्षेत्र सदैव सीमित रहेगा, उसे छोना नहीं जा सकता। सन 1940 प्रीबी कौन्सिल ने मास्क एण्ड कम्पनी के केस में यह निर्णय दिया गया कि प्राकृति न्याय के सिद्धान्तों के विरुद्ध यदि न्यायिककरण (ट्रिब्युनल) और बोर्ड पक्षकार को बिना सुने निर्णय देते तो निर्णय को निरर्थक नहीं कहा जावेगा व अवैध होगा। इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने पुष्टि की है। संविधान लागू होने के बाद देश की जुडिशियरी, सरकार से अलग हुई। किन्तु वक्फ एक्ट में ट्रिब्युनल के फैसले की अपील निषिध की गई थी। जबकि वक्फ संशोधन विधेयक सभी को न्याय का वायदा करता है।

ऐसे भी देश के नागरिक हैं जो यह मानते हैं कि वक्फ संशोधन अधिनियम, 2025 वक्तुतः संवैधानिक है और पूर्ववर्ती वक्फ अधिनियम, 1923 को तथा वक्फ एक्ट 1995 को व्यर्थ हो चुका कानून मानते हैं। इसी प्रकार ये मानते हैं कि वक्फ एक्ट भी अब अव्यवहारिक है और संविधान की कसौटी पर खरे नहीं है। वक्फ अधिनियम की धारा 54 व 55 में वक्फ सम्पत्तियों से अतिक्रमणकारियों को हटाने का अधिकार वक्फ बोर्ड को दिया है, जबकि ऐसा समान अधिकार अन्य धर्म के ट्रस्ट, मंदिर, मठ को संचालित करने वाले ट्रस्टियों, मैनेजरों को नहीं है अर्थात् भेदभाव पूर्ण व्यवहार का यह जीवनदा उदाहरण है और ऐसे प्रावधान असंवैधानिक हैं। इस प्रकार इन लोगों का मानना है कि वक्फ संशोधन अधिनियम, 2025 ने जिन वक्फ अधिनियमों को रिपील किया है वे सभी असंवैधानिक थे, न केवल समानता के प्रतिकूल होने के कारण अपितु अन्य कई कारणों से जिनका उल्लेख ऊपर किया गया है। अतः ये लोग जिन्होंने वक्फ संशोधन अधिनियम, 2025 की वैधानिकता को चुनौती दी है उसके विरोध में वे अपनी नई रिट याचिका में अन्य पूर्ववर्ती सभी वक्फ एक्ट को असंवैधानिक, अवैध, अव्यवहारिक तथा अमान्य मानकर अपना केस सुप्रीम कोर्ट में रख रहे हैं और रख सकते हैं।

देश के 6 राज्यों में, जिनमें स्टेट ऑफ आसाम, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखण्ड, हरियाणा तथा महाराष्ट्र हैं उन्होंने सुनवाई की 16.04.2025 की तारीख से पूर्व पूर्ववर्ती याचिका 284/2025 में जिसे ऑल्ट इण्डिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने दायर की है में हस्तक्षेप करने व पक्षकार बनने की Intervention Petition दायर की है। सभी राज्यों ने नये कानून का समर्थन किया है। ये असंवैधानिक व Non-discriminatory माना है।

माननीय सुप्रीम कोर्ट पक्ष व विपक्ष से वाद प्रतियद लेकर सभी याचिकाओं का निस्तारण शीघ्रता से करना चाहती है। कुछ याचिकाकर्ता अपेक्षा कर रहे हैं कि नया वक्फ संविधान अधिनियम, 2025 जो देश में लागू हो चुका है, उसके क्रियान्वय को रोका जावे और दूसरा पक्ष चाहता है कि अतिक्रमण की गई तथाकथित वक्फ सम्पत्तियों को गरीब मुसलमान, विधवाओं तथा जिसके भी पास छत नहीं है, ऐसे मुसलमानों को सभी आवश्यक सुविधायें दी जावें ताकि वे भी गरिमा के साथ जी सकें।

कानून के विद्वानों से प्रार्थना है कि सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अधिक से अधिक लोग अपना अपना कानूनी पक्ष रखें जिससे भारत की गंगा जमुनी सभ्यता को जनहित में प्रगति और विकास की ओर तीव्र गति से बढ़ाया जा सके तथा भारत धर्म निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य सही अर्थों में बना रहे।

नोट:- दिनांक 16 और 17 अप्रैल को अन्तिम आदेश पर बहस सुनी गई। सरकार ने 7 दिन का समय मांगा और कहा कि कोई परिवर्तन वक्फ में नहीं होगा। न्यायालय ने यह अन्तिम आदेश दिया कि सरकार के जवाब दावे तक कोई परिवर्तन वक्फ में नहीं होगा यानि यथा स्थिति बनी रहेगी।

सबको सम्यति दे भगवान् ।

-आतिथ्य सम्पादक,
पानाचन्द जैन

पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट



रामपाल जाट

सरकार ने गेहूं खरीद का लक्ष्य वर्ष 2025–26 के लिए 310 लाख टन का निश्चित किया है। वही गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2425 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया है। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे गेहूं उत्पादक राज्यों में गेहूं का बाजार भाव 2725 से लेकर 2800 रुपए प्रति क्विंटल है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर पंजाब में 125 रुपए, मध्य प्रदेश में 175 रुपए, तथा राजस्थान में 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनास घोषित किए जाने के उपरांत भी सरकारी खरीद मूल्य की अपेक्षा बाजार भाव अधिक है। गेहूं के सबसे बड़े उत्पादक उत्तर प्रदेश तथा बिहार की सरकारों ने बोनास घोषित नहीं किया है। देश में प्रतिवर्ष सरकार द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं के लिए लगभग 200 लाख टन गेहूं की आवश्यकता होती है। बाजार को नियंत्रित रखने के प्रयोग से भी भारतीय खाद्य निगम और राज्यों के द्वारा गेहूं की खरीद की जाती है।

देश के भंडारण में 15 मार्च तक 130 लाख टन गेहूं जमा होने से संकट का आभास नहीं हो रहा है। किंतु वर्ष 2024–25 में 3.2 करोड़ टन के लक्ष्य के विपरीत गेहूं की खरीद 2.6 करोड़ टन तथा वर्ष 2023–24 में लक्ष्य 3.41 करोड़ टन की तुलना में 2.62 करोड़ टन की ही खरीद होने से सरकार

चिंतग्रस्त दिखाई दे रही है। यद्यपि गेहूं की सरकारी खरीद 11 राज्यों में होगी किंतु कुल खरीद का 70 प्रतिशत पंजाब और हरियाणा से ही पूरा होता है। वर्तमान विपणन वर्ष में पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में खरीद चालू है।

इसके लिए अभी तक 17,50,000 किसानों ने पंजीकरण कराया है। बाजार भावों के ऊंचा रहने के कारण किसानों का सरकारी खरीद केन्द्रों तक पहुंचना संशय का विषय बना हुआ है। यदि घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य से बाजार भाव सौ रुपए प्रति क्विंटल भी कम रहते हैं तो पंजाब एवं हरियाणा के अतिरिक्त अन्य राज्यों में किसानों द्वारा गेहूं विक्रय हेतु सहकारी प्रार्थमिकता दी जाती है, वे सरकारी खरीद केन्द्रों के मायाजाल से सहमें से रहते हैं। सरकारी भंडारण की लक्ष्यपूर्ति के लिए किसानों को ही विवश कर सरकार गेहूं खरीदना चाहती है। यह स्थिति तो तब है जब सरकार को खुले बाजार में प्रतियोगी के रूप में भंडारण के लक्ष्य पूर्ति का विकल्प विद्यमान है। पिछले दो वर्षों में संपूर्ण उत्तर प्रदेश में व्यापारियों ने गांव–गांव जाकर किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक मूल्य देकर गेहूं खरीदा था। इससे किसानों को लाभ हुआ और सरकारी केन्द्रों का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया। इसी को दृष्टिगत रखते हुए उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक दामों पर गेहूं खरीद को रोकने के लिए व्यापारियों पर शिंकजा कसा जा रहा है। इसके लिए कलेक्टर कार्यालय की ओर से खाद्य एवं नागरिकांपूर्ति, खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों का तहसीलवार दल गठित किया गया है, जो प्रतिदिन खरीद एवं भंडारण के लिए छपेमारी कर जांच करेगा। इसी हेतु से व्यापारियों के लिए गेहूं खरीदने एवं भंडारण की सीमा निर्धारित कर दी गई है। जिससे व्यापारी गेहूं का भाव भी

न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक नहीं रख सकेंगे।

घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य अधिकतम नहीं है बल्कि न्यूनतम है। परिणाम स्वरूप कभी–कभी कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक दाम प्राप्त हो जाते हैं, उन्हें रोकने के लिए ये उदाहरण बन सकेंगे। मध्य प्रदेश के जिला कलेक्टर राजगढ़ ने भी सरकारी उपार्जन व्यवस्था से हटकर सीधे व्यापारियों को गेहूं विक्रय रोकने के लिए कालातीत वसूली को आधार बनाया है। व्यापारियों के माध्यम से ऋण वसूली का अभियान चलेगा। इसीलिए व्यापारियों को कृषि उपज मंडियों के माध्यम से कालातीत ऋण वाले किसानों की सूची उपलब्ध कराने हेतु सहकारी बैंकों के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। व्यापारियों द्वारा सहयोग नहीं करने पर उनके अनुज्ञा पत्र निरस्त करने का भी आदेश दिया है। इसी आदेश में व्यापारियों को पंजीयन के बिना मंडियों से गेहूं बाहर भेजना एवं अन्य राज्यों से जिले में गेहूं की आवक को रोकने का भी आदेश दिया गया है।

इसी दिशा में राजस्थान में भी किसानों द्वारा व्यापारियों को गेहूं बेचने से रोकने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद के संबंध में गेहूं के उचित औसत गुणवत्ता मानकों में छूट देने का आकर्षण दिया गया है। जिसमें अपरिक्व एवं टूटे – सिकुड़े दानों की अधिकतम सीमा 6 से बढ़ाकर 20 प्रतिशत तथा चमक विहीन गेहूं की अधिकतम सीमा 10 प्रतिशत तक कर दी गई है। जबकि इस वर्ष राजस्थान में उत्पादित गेहूं अन्य वर्षों की तुलना में अच्छा है।

एक ओर तो सरकार किसानों को उनके उत्पादों के लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए किसानों को उनके उत्पाद लहां भी अधिक मूल्य मिले वहां विक्रय करने को प्रोत्साहित करने की संसद में घोषणा करती है, दूसरी ओर गेहूं के अधिक दाम देने से रोकने के

झुंझुनू नगर की स्वच्छता के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा : के.के. गुप्ता

- ‘झुंझुनू नगर को स्वच्छ और हवा भरा बनाकर मुख्यमंत्री के स्वच्छ राजस्थान संकल्प को पूरा करेंगे’**
- न्याय मित्र के के गुप्ता ने झुंझुनू में जनसुनवाई की, अधिकारियों को निर्देश दिये**

जगह गंदगी एवं सफाई नहीं होने की शिकायत की तथा कई वार्डों में लाइट लंबे समय से बंद होने की भी शिकायतें सामने आईं। जगह–जगह जानवरों का सड़कों पर घूमने को लेकर भी लोग शिकायतें कर रहे थे। जनसुनवाई के दौरान कचरा उठाने वाले व्हीकल समय पर नहीं आना की बात भी कहीं, जिस पर न्याय मित्र गुप्ता ने कमिश्नर एवं अधिकारियों के साथ बैठक कर स्पष्ट शब्दों में निर्देशित किया कि यह अब चरने वाला नहीं है, मुझे न्यायालय ने नियुक्त किया है। मेरे द्वारा अथक प्रयास किया जा रहा है परंतु समय समय पर कर्मचारियों की लापरवाही से आमजन में नगर परिषद से विश्वास उठ रहा है जो किसी भी स्तर में उचित नहीं है।

जनसुनवाई के दौरान न्याय मित्र गुप्ता ने कहा कि शहर में घर–घर पर कचरा नियमित उठाना चाहिए। नगर

में की जाने वाली रात्रि कालीन सफाई व्यवस्था को लेकर स्पष्ट किया कि पूरे कमर्शियल एरिया के अंदर रात्रि में सफाई होनी चाहिए, क्योंकि दिन में यह सफाई संभव नहीं है। मात्र 10 कर्मचारियों से यह कार्य पूरा नहीं हो सकता है।

सामुदायिक शौचालय और मृत्रालय को लेकर सहायक अभियंता को स्पष्ट निर्देश दिए की किसी भी शौचालय मृत्रालय में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। लाइट होनी चाहिए, दिन में दो बार हवाई और सफाई होनी चाहिए तथा किसी भी प्रकार के कागज पोस्ट चिपके हुए नहीं होने चाहिए। सड़क पर घूमने वाले बेसहारा जानवरों को लेकर कहा कि जो सड़कों पर घूम रहे हैं वह आमजन के लिए भी खतरा है तथा गंदगी भी फैला रहे हैं। ऐसे में सभी जानवरों को गोशाला में ले जाकर छोड़ना तुरंत प्रारंभ करें। नालियों को

सूरौठ को पंचायत समिति का दर्जा देने की मांग

करोली, (निसं)। करोली जिले में सूरौठ को पंचायत समिति का दर्जा देने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि शेरपुर के स्थान पर सूरौठ को पंचायत समिति बनाया जाना चाहिए,

क्योंकि सूरौठ क्षेत्र में सभी आवश्यक सुविधाएं और जनसंख्या के लिहाज से भी अधिक उपयुक्त है। ग्रामीणों ने

कलेक्टर को ज्ञापन सौंप कर सूरौठ को पंचायत समिति बनाने कि मांग की है। वहीं कार्यवाही नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है।

सूरौठ तहसील क्षेत्र से आए सैकड़ों लोगों ने करोली कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया है कि जिला प्रशासन की ओर से सात अप्रैल को शेरपुर को नवीन पंचायत समिति बनाए जाने का प्रस्ताव

राज्य सरकार को भेजा गया है, जबकि यह सूरौठ और आसपास की जनता के साथ अन्याय है। सूरौठ करोली जिले की सबसे बड़ी पंचायत है और कई वर्षों से तहसील मुख्यालय भी है। वर्तमान में सूरौठ की जनसंख्या लगभग 25,000 है, जबकि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार यह 13,780 थी। वहीं, शेरपुर की जनसंख्या मात्र 4,817 है, जो वर्तमान में सूरौठ तहसील की ही उप–

तहसील है। ग्रामीणों ने बताया कि प्रस्तावित 25 पंचायतों में से 16 पंचायतें हिंडीन विधानसभा और 9 पंचायतें करोली विधानसभा क्षेत्र में आती हैं। सूरौठ में दिल्ली–मुंबई स्टेट हाइवे, बड़ी रेल लाइन, तहसील मुख्यालय, पुलिस थाना, पुलिस चौकी, विद्युत कार्यालय, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, आयुर्वेद चिकित्सालय, राष्ट्रीयकृत बैंक,

महाविद्यालय, माध्यमिक विद्यालय सहित कई विभागों के कार्यालय हैं। कस्बे के आसपास आठ किलोमीटर के दायरे में लगभग 25 पंचायतों के 50 राजस्व गांव हैं, जिनके हजारों लोग अपने सरकारी और निजी कार्यों से प्रतिदिन सूरौठ आते हैं। ग्रामीणों ने मांग की कि शेरपुर के लिए भेजा गया प्रस्ताव निरस्त किया जाए और सूरौठ को पंचायत समिति का दर्जा देने की मांग है।

राशिफल शुक्रवार 18 अप्रैल, 2025

वैशाख मास, कृष्ण पक्ष, पंचमी तिथि, शुक्रवार, विक्रम संवत २०८२, ज्येष्ठा नक्षत्र प्रातः ८:२१ तक, परिद्य योग रात्रि १:०३ तक, तैतिल करण सायं ५:०८ तक, चन्द्रमा आज प्रातः ८:२१ से धनु राशि में संचार करेगा।
ग्रह स्थिति: सूर्य-मेघ, चन्द्रमा-वृश्चिक, मंगल-कर्क, बुध-मीन, गुरू-वृष, शुक्र-मीन, शनि-मीन, राहु-मीन, केतु-कन्या राशि में।
कुमार योग प्रातः ८:२१ से सूर्योदय तक है। आज गुड फ्राइडे है।
श्रेष्ठ चौघड़िया: चर सूर्योदय से ७:४० तक, लाभ-अमृत ७:४० से १०:३१ तक, शुभ १०:६ से २:०२ तक, चर ५:१३ से सूर्यास्त तक।
राहूकाल: १०:३० से १:०० तक। सूर्योदय ६:०४, सूर्यास्त ६:४८

-आतिथ्य सम्पादक,

पानाचन्द जैन

पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

वसूली आरंभ कर दी गई।

सामान्यतया सरकार द्वारा लेवी के लिए निर्धारित दरों से बाजार की प्रचलित दरें अधिक थी। इसलिए सरकार ने लेवी की ही करारोपण की भांति किसानों पर लाद दिया। इस व्यवस्था के कारण अनेकों अवसरों पर किसानों को लेवी चुकाने के लिए बाजार की प्रचलित दरों के आधार पर अधिक मूल्य चुकाकर खाद्यान्न खरीदना पड़ता था।

इससे 'कंगाली में आटा गीला' की कहावत सच हो रही थी। देश के किसानों में आक्रोश होने के कारण विरोध हुआ। सरकार ने उसे दबाने के लिए लाठी-गोली का सहारा लिया। यथा – बाजरे की लेवी वसूली के लिए राजस्थान के जोधपुर जिले के भोपालगढ़ क्षेत्र में १ जून १९७५ को पुलिस द्वारा गोली चलाने से धोकलराम सारंग, ग्राम–कुड्डी, मगनीराम गहलोत तथा नारायणराम, ग्राम– भोपालगढ़ शहीद हुए। उस समय बाजार का प्रचलित बाजार मूल्य ६० रुपए क्विंटल था जबकि सरकार ने लेवी के लिए एक क्विंटल का मूल्य ३० रुपए ही निर्धारित किया था। यही स्थिति गेहूं की थी। समय – काल – परिस्थितियों में खाद्यान्न के भंडारण की आवश्यकता तो समझ में आ सकती है किंतु उसका भार किसानों के कंधों पर डालना निश्चित ही अन्यायकारी है। गेहूं के दाम गिराने के लिए 'पांग भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे' लोकोक्ति को चरितार्थ करने वाली ५७ वर्ष पुरानी को नीतियों का ही सरकार ने सहारा लिया।

इसी का परिणाम है कि गेहूं के दाम न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे गिर गये। १२ अप्रैल तक गेहूं की खरीद ३१ लाख टन हो चुकी जो पिछले वर्ष की समान अवधि से १७ लाख टन से अधिक है, यानि घाटा किसानों को ही उठाना पड़ा।

—रामपाल जाट,
राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान महापंचायत

सुरक्षा बलों के त्याग और तपस्या के कारण ही आज हम सुरक्षित हैं : अमित शाह

ब्रह्मकुमारीज संस्था के सुरक्षा सेवा प्रभाग के राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ

सिरोही/जालोर, (निसं)। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सशस्त्र बलों के सुरक्षा कर्मियों के त्याग-तप और बलिदान के कारण आज हम सुरक्षित हैं। माइनस 46 डिग्री टेंपरेचर से लेकर प्लस 46 डिग्री टेंपरेचर के अंदर हमारी सीमाओं की सुरक्षा वे अपने जीवन का स्वर्णकाल देकर करते हैं। अमित शाह गुरुवार को सिरोही के आबूरोड में स्थित ब्रह्मकुमारीज हैड क्वार्टर शांतिवन में आयोजित सुरक्षा बल के कर्मियों के लिए आंतरिक जागृति के माध्यम से आत्म-सशक्तीकरण विषयक राष्ट्रीय संवाद के शुभारम्भ के अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने सुरक्षा कर्मियों के मन, आत्मा और शरीर को शांति का मार्ग प्रशस्त करने की दिशा में कार्य करने के लिए ब्रह्मकुमारीज संस्था को साधुवाद दिया।

केन्द्रीय गृहमंत्री ने कहा कि योग और अध्यात्म से मन-बुद्धि, शरीर और आत्मा को एकरूप करके ज्ञान से प्रगति के रास्ते पर मानवता को आगे ले जाने की भारत की बृहत पुराणी परंपरा है। हम इस परंपरा को आज भी समग्र विश्व में पहुंचाने के लिए प्रयासरत हैं। वसुधैव कुटुंबकम की भावना, विश्व को सबसे पहले भारत ने दी। केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि ब्रह्मकुमारीज ने अपने त्याग, तपस्या और तेज से दुनिया भर में सद्गौी,



कार्यक्रम में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आदि मौजूद रहे।

संयम और सहयोग का एक अद्विभुत वातावरण खड़ा करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि ब्रह्मकुमारी संस्था में मनुष्य के अंदर की सद्वृत्ति को जाग्रत करने का प्रयास अनेक वर्षों से किया जा रहा है। इसके फलस्वरूप मन को अगाध शांति का अनुभव यहां आकर होता है और मैंने आज स्वयं भी यह महसूस किया है। उन्होंने ब्रह्माकुमारी संस्था के संस्थापक पूज्य दादा लेखराज कृपलानीजी को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि जीवन में जब गुरु मिल जाता है तो कई लोगों का जीवन सन्मार्ग पर प्रशस्त हो जाता है। लेखराज कृपलानीजी ने ब्रह्माकुमारी की स्थापना कर हर एक व्यक्ति की आत्मा को ही दीप बनाकर उसके प्रकाश में आगे बढ़ने का बहुत

बड़ा आह्वान किया। उन्होंने राजयोगिनी दादी स्व. रतन मोहिनी को नमन करते हुए और राजयोगिनी मोहिनी दादी को शुभकामनाएं देते हुए विश्वास प्रकट किया कि वे समाज को सद्वृत्ति की ओर ले जाने वाले इस आंदोलन को उतनी ही ऊर्जा और तत्परता के साथ आगे ले जाएंगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने संबोधन में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह देश की सुरक्षा और विकास के दर्शन के प्रमुख शिल्पी हैं। वे सशक्त भारत के निर्माण के लिए देश की सुरक्षा नीति के कुशल सारथी होने के साथ देश की आध्यात्मिक चेतना और सांस्कृतिक मूल्यों की भी संवाहक हैं। शर्मा ने कहा

कि ब्रह्मकुमारीज संस्था ने राजयोग को सहजता के साथ जन-जन तक पहुंचाया है, जो तनावमुक्त जीवन, मानसिक स्वास्थ्य और आत्मबोध का माध्यम बन गया है। उन्होंने राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी को नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्व एकता और विश्वास के लिए ध्यान की राष्ट्रीय थीम वर्तमान सामाजिक, राजनीतिक और वैश्विक परिदृश्य में अत्यंत प्रासंगिक है। उन्होंने कहा कि जवानों को शारीरिक सामर्थ्य के साथ एक शांत और स्थिर चित्त की जरूरत होती है और यह शक्ति उन्हें ध्यान एवं योग से मिलती है। ब्रह्मकुमारीज की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके मोहिनी दादी ने कहा कि राजयोग मेडिटेशन

■ भय और हिंसा के पर्याय रह चुके क्षेत्र केन्द्रीय गृह मंत्री के नेतृत्व में शांति और विकास के पथ पर अग्रसर : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

से हमें मानसिक शांति प्राप्त होती है। मेडिटेशन से मन-बुद्धि-संस्कार की एकाग्रता आती है। मेडिटेशन से ही आत्मा के सात गुण- ज्ञान, सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, शक्ति और आनंद मूल स्वरूप में आते हैं। आरम्भ में केन्द्रीय गृह मंत्री एवं मुख्यमंत्री ने राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी को पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। उन्होंने प्रभाग की सिल्वर जुबली की लॉचिंग की और संस्थान की इस वर्ष की वार्षिक थीम-विश्व एकता एवं विश्वास हेतु ध्यान का राष्ट्रीय उद्घाटन किया।

इस दौरान उद्योग राज्य मंत्री के.के. विश्वेन्द्र, पंचायती राज राज्यमंत्री ओटाराम देवसी, सांसद मदन राठौड़, लुम्बाराम चौधरी, संकुल प्रमुख राजयोगिनी मुन्नी दादी, सुरक्षा सेवा प्रभाग की उपाध्यक्षा बीके शुक्ला दादी, अतिरिक्त महासचिव बीके डॉ. मूल्यजय सहित जल सेना, थल सेना और वायु सेना के अधिकारी एवं जवान मौजूद रहे।

एसी में शॉर्ट सर्किट से पीबीएम हॉस्पिटल बीकानेर में बूढ़ाबांदी होने के स्कैन डिपार्टमेंट में आग लगी

से गर्मी से राहत मिली

बीकानेर, (निसं)। पीबीएम हॉस्पिटल के स्कैन डिपार्टमेंट की बिल्डिंग में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। मरीजों को तुरंत अन्यत्र शिफ्ट किया गया। गुरुवार सुबह अचानक एसी में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। जानकारों के अनुसार सदरदार पेटेल मेडिकल कॉलेज के पास ही स्थित सुपर स्पेशलिटीडि सेंटर से सटे स्कैन डिपार्टमेंट में आग लगी है। यहां विभागध्यक्ष डॉ. बी.सी. घोषा के कमरे में से धुआं आता दिखाई दिया। इसके बाद आसपास के कमरों से भी धुआं निकला। आग बढ़ती इससे पहले ही मरीजों को शिफ्ट किया गया। आग के कारण कुछ सामान भी जल गया। एसी

■ आग और धुआं उठते ही मरीजों को तुरंत अन्यत्र शिफ्ट किया

■ आग के कारण कुछ सामान जला, आग फर्नीचर तक नहीं पहुंची, हादसा टला

में शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग फर्नीचर तक नहीं पहुंची। आग सुबह लगी तो समय रहते, इस पर काबू पा लिया गया। अगर अस्पताल समय के बाद आग लगी होती तो बड़ा नुकसान हो सकता था। इसी विभाग के पास आंखों का अस्पताल है, जहां पहली मंजिल पर

बड़ी संख्या में रोगी भर्ती भी रहते हैं। आग का धुआं देखने के साथ ही मौके पर मौजूद लोगों ने अंदर पहुंचकर कांच के शीशे तोड़ने शुरू किए तो ताकि धुआं बाहर निकल सके। पीबीएम हॉस्पिटल के कर्मचारियों और रोगियों के साथ आए पर्रिजनों ने मिलकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया। मौके पर दमकल भी पहुंच गई, जिसने जल्द ही आग पर काबू पा लिया। चिकित्सा सचिव ने बीकानेर यात्रा के दौरान पूरे अस्पताल की लाइट फिटिंग को लेकर दिशा निर्देश दिए थे। शिशु अस्पताल में तो छोटी-बड़ी समस्याओं और लाइट फिटिंग को देखने के लिए सीनियर डॉक्टरों को ड्यूटी दी गई है।

बीकानेर, (निसं)। बीकानेर में बुधवार रात से गुरुवार सुबह तक हल्की बूढ़ाबांदी हुई। इससे गर्मी से थोड़ी राहत मिली। हालांकि दिन का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाने की आशंका जताई जा रही थी। एक बार तो पारा चढ़ा, लेकिन शाम होते-होते बीकानेर में बादलों ने बरसना शुरू कर दिया। तापमान गिरने के साथ ही गर्मी से भी काफी राहत मिल गई। मौसम विभाग ने बीकानेर के लिए “रेड अलर्ट” जारी किया था। इसके उलट शाम को मौसम सुहाना हो गया। दोपहर करीब साढ़े तीन बजे बाद मौसम बदलना शुरू हो गया। पारा जितनी तेजी से चढ़ा तो उतनी ही स्पीड से कम भी हो गया। पहले तेज हवा और अंधड़ की

शुरुआत हुई। थोड़ी ही देर में हल्की बूढ़ें गिरने लगी। गंगानगर रोड पर आरटीओ ऑफिस के पास बारिश कम थी लेकिन शहर में तेज थी। नेशनल हाइवे और शहर के अंदर तक हल्की बूढ़ाबांदी ने गर्मी से छुटकारा दिलाया। इससे पहले देर रात बीकानेर में तेज हवाओं के साथ पहले अंधड़ शुरू हुआ और बाद में मामूली बूढ़ाबांदी हुई। ये सिलसिला एक बार रुक गया लेकिन देर रात फिर बूढ़ाबांदी हुई। गुरुवार सुबह छह बजे तक ये सिलसिला चलता रहा। इससे दिन में एक बार गर्मी से राहत मिल गई है। उधर, मौसमविभाग ने बीकानेर में गुरुवार और शुक्रवार को तेज गर्मी होने की चेतावनी दी थी। न सिर्फ दिन में बल्कि रात में भी पारा बढ़ने की आशंका जताई थी।

महिला की मौत

निवाई, (निसं)। सदर थानानगर्गत गांव राहोली में इवनिंग वॉक करती महिला के एक मोटरसाइकिल ने टक्कर मार दी जिससे वह घायल हो गई। पर्रिजनों ने घायल अवस्था में महिला को सीधे जयपुर ले जाकर अस्पताल में भर्ती करना दिया। उपचार के दौरान महिला की गुरुवार को मौत हो गई। थानाधिकारी हीरालाल वर्मा ने बताया कि गांव राहोली निवासी मंजूलता (40) पति सुरेश बैरवा इवनिंग वॉक कर रही थी। इसी दौरान तेज गति से आ रही मोटरसाइकिल ने टक्कर मार दी। जिससे वह घायल हो गई। जयपुर में उपचार के दौरान महिला की गुरुवार को मौत हो गई। सदर थाना पुलिस की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम करवाकर पर्रिजनों के सुपुर्द कर दिया।

लखनपुर थाना पुलिस की गाड़ी असंतुलित होकर पेड़ से टकराई

नदबई/भरतपुर, (निसं)। नदबई-खेड़ोली सड़क मार्ग पर गांव नयावास के समीप पुलिस वाहन चालक की सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया। जब, आगे चल रहे दूसरे सरकारी वाहन को बचाने के चक्कर में पुलिस की गाड़ी असंतुलित होकर सड़क से नीचे उतरते हुए पेड़ से टकरा गई। हादसे के दौरान पुलिस वाहन में सात पुलिसकर्मों सवार थे, लेकिन पुलिस वाहन चालक की सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया। विभागीय सूत्रों के अनुसार लखनपुर थाना पुलिस वाहन चालक नेमासिंह, बरीलीछार में विद्युत विद्युत लाइन डलवाने की प्रक्रिया कर पुलिस जाब्ता के साथ वापस लौट रहा था। इसी दौरान नयावास बस स्टैंड के समीप आगे चल रहे दूसरे सरकारी वाहन को बचाने की जुगत में पुलिस

वाहन असंतुलित होकर खेत से नीचे उतरते हुए पेड़ से टकरा गया। अचानक असंतुलित होकर पुलिस वाहन को पेड़ से टकराने पर, मौजूद प्रशासन के अधिकारी सहित पुलिसकर्मियों में हड़कंप मच गया। हालांकि, गाड़ी में मौजूद किसी भी पुलिसकर्मों को चोट नहीं लगी। लेकिन, पुलिस की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। बाद में मशकत कर लखनपुर थाना पुलिस की गाड़ी को नदबई लाया, जबकि, गाड़ी में मौजूद पुलिसकर्मियों को अन्य वाहन की सहायता से रवाना किया गया। गौरतलब है कि, नदबई क्षेत्र के गांव बरीलीछार में कुसुम योजना के तहत सोलर प्लांट के लिए विद्युत लाइन डालने का कार्य होना था। लेकिन ग्रामीणों ने विद्युत निगम अधिकारियों पर मिलीभगत करने व निजी खातेदारी

जमीन में विद्युत लाइन डालने का आरोप लगाते हुए जमकर विरोध किया। ग्रामीणों के विरोध को देखते हुए तहसीलदार दीपा यादव सहित नदबई थाना प्रभारी विजेंद्र सिंह के नेतृत्व में नदबई लखनपुर, हलैना व उच्चैन थाने का पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा। तहसीलदार दीपा यादव ने ग्रामीणों से समझाइश करते हुए निष्पक्ष सीमा ज्ञान करते हुए विद्युत लाइन डालने का आश्वासन दिया। बाद में पुलिस की मौजूदगी में विद्युत लाइन डालने का कार्य पूर्ण हुआ। इससे पहले ग्रामीणों के विरोध को देखते हुए 9 अप्रैल को भी भारी पुलिस जाब्त की मौजूदगी में विद्युत पोल लगाने का कार्य किया गया। विद्युत लाइन डालकर लौटने दौरान ही लखनपुर पुलिस थाने के सरकारी वाहन से हादसा हुआ।

आपसी कहासुनी में तीन घायल

मालपुरा, (निसं)। मालपुरा शहरी क्षेत्र के इन्दिरा कॉलोनी निवासी दो पड़ोसियों में हुई कहासुनी खुनी संघर्ष में तब्दील हो गई। लाठीभाटा जंग में तीन जने घायल हो गये। एक गंभीर घायल को जयपुर रैफर किया है।

मिली जानकारी के अनुसार बुधवार की देर रात्रि को इन्दिय कॉलोनी निवासी दो पड़ोसियों में छोटी सी बात को लेकर हुई कहासुनी के दौरान दोनों पक्षो ने एक-दुजे पर लाठी भाटों से हमला कर दिया। दोनों के बीच हुई तकरार में कन्हैयालाल पुत्र रामजीलाल बैरवा गंभीर रूप से घायल हो गया जिसे मालपुरा जिला अस्पताल से बौली चिकित्सालय लाया गया एवं प्राथमिक उपचार के बाद पिता व पुत्र को गंभीर हालत में जयपुर रैफर किया गया, जबकि पत्नी को सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय रेफर किया गया। जहां तीनों की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार

सड़क हादसे में पति-पत्नी व पुत्र की मौत

मिनी बस व बाइक में भिड़ंत होने से हादसा हुआ

बौली-बामनवास, (निसं)। क्षेत्र के लालसोट-बौली सड़क मार्ग पर पीपलदा कस्बे के पास गुरुवार को दोपहर एक मिनी बस व बाइक के बीच आमने-सामने से टक्कर हो गई। इस सड़क दुर्घटना में पति-पत्नी व पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें एंबुलेंस की सहायता से बौली चिकित्सालय लाया गया एवं प्राथमिक उपचार के बाद पिता व पुत्र को गंभीर हालत में जयपुर रैफर किया गया, जबकि पत्नी को सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय रेफर किया गया। जहां तीनों की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार

मंडावरी निवासी हमीद (50) व उसकी पत्नी मुमताज (45) एवं उनका पुत्र बादल (18) बाइक से बौली की ओर आ रहे थे एवं बौली से लालसोट की ओर मिनी बस पर पीपलदा कस्बे के पास बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में तीनों घायल हो गए। सूचना पर बौली पुलिस एवं एंबुलेंस मौके पर पहुंची एवं सभी घायलों को बौली चिकित्सालय प्राथमिक उपचार के बाद हमीद व उसके पुत्र बादल को अत्यधिक गंभीर होने पर जयपुर रैफर किया गया, जबकि मुमताज को सवाई माधोपुर जिला चिकित्सालय में रेफर किया गया है।

दुधवा क्रशर पर तोड़फोड़ मामले में दो इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया

खेतड़ी, (निसं)। मेहाड़ा पुलिस ने दुधवा में क्रशर पर तोड़फोड़ कर मंथली मांगने के मामले में दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों पर पुलिस ने दस हजार रुपए का इनाम घोषित कर रखा था।

थानाधिकारी भजनाराम ने बताया कि 27 मार्च को मोड़ी हाल क्रेशर पार्टनर अग्रवाल ग्रीट उद्योग दुधवा निवासी राजपाल ने थाने में रिपोर्ट दी कि क्रेशर अग्रवाल ग्रीट उद्योग दुधवा पर एक बाइक आपाची आई, जिस पर तीन आदमी आए। तीनों के हाथों में हथियार थे। तीनों बाइक से उतरते ही बाहर बैठे मुनीम कैलाश के साथ गाली गलौच करते हुए लात घुसे से मारपीट की व क्रेशर को बंद करने की धमकी देकर बोले क्रेशर चलाना है। तो 20 हजार रुपए मंथली देनी होगी। इस दौरान बदमाशों ने गोली मारी देने की धमकी भी दी। एसपी भरद चौधरी ने घटना को गंभीरता से लेते हुए थानाधिकारी



मेहाड़ा पुलिस ने दुधवा क्रशर पर तोड़फोड़ कर मंथली मांगने के मामले में दो बदमाशों को गिरफ्तार किया।

भजनाराम के नेतृत्व में टीम गठित कर बदमाशों की तलाश शुरू की। इस दौरान आस पास रास्तों व अन्य स्थानों पर लगे

करीब 450 सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए एवं सायबर टीम की मदद से बदमाशों की तलाश आसपास व

संभावित स्थानों व हरियाणा, दिल्ली, मध्यप्रदेश, गुजरात, सावरियां सेठ चितौडगढ़, भीलवाडा, जयपुर में दबिश

■ आरोपियों पर पुलिस ने दस हजार रुपए का इनाम घोषित कर रखा था

देकर संदिग्धों से पूछताछ की गई। इसी दौरान थानाधिकारी को जरिये मुखबरी सूचना मिली कि वादराते के मुख्य आरोपी अहमदाबाद से ट्रेन में जम्मू जा रहे हैं तथा पैसे लेने के लिए निजामपुर रेल्वे स्टेशन आयेंगे। जिस पर गठित टीम द्वारा निजामपुर रेल्वे स्टेशन से दुधवा निवासी महावीर उर्फ हीरा गुर्जर, छोटेलाल उर्फ बादल मीणा को गिरफ्तार कर लिया। थानाधिकारी ने बताया कि बदमाशों से गहनता से पूछताछ की जा रही है। इस दौरान टीम में थानाधिकारी भजनाराम, कांस्टेबल रोहिताश, रवि कुमार, प्रमोद कुमार, रोहिताश, महेंद्र, एचसी दिनेश कुमार, विक्रम, सुरेंद्र काजला आदि शामिल थे।

7.67 करोड़ की सायबर ठगी का खुलासा, चार गिरफ्तार

बिट्स की महिला प्रोफेसर से सायबर ठगी हुई थी, एसपी को दी शिकायत पर हुई कार्रवाई

■ सीबीआई ने यूपी के मुरादाबाद और मुंबई से दो-दो आरोपियों को गिरफ्तार किया

■ पुलिस को 200 के करीब बैंक अकाउंट, बैंक बुक, एटीएम कार्ड के अलावा 25 हजार आईपी एड्रेस मिले, पूछताछ जारी

सीबीआई, इंडी आदि का डर दिखार तीन महीने के दौरान रमियान श्रीजाता डे से सात करोड़ 67 लाख रुपए की ठगी 42 अलग-अलग ट्रांजेक्शन के रूप में कर ली।

पीडित महिला प्रोफेसर में इनमें से 80 लाख रुपए की राशि तो बैंक से लोन उठाकर भी ठगों को दे दी। ठगों ने पैसा सुप्रीम कोर्ट से आदेश मिलने पर वापिस देने की बात कहते हुए ठग, लेकिन जब 15 फरवरी 2024 को, पैसे वापिस देने की बात आई तो ठगों ने फोन बंद कर लिए और गायब हो गए। जिससे परेशान महिला प्रोफेसर ने शंभुनू एसपी की शिकायत दी। एसपी को दी गई शिकायत के आधार पर सायबर थाने में मामला दर्ज किया गया। लेकिन इस मामले में महिला प्रोफेसर ने ठगों के बताए अनुसार विदेशी बैंक खातों में भी पैसे भेजे थे। इसलिए राजस्थान पुलिस ने सीबीआई से इस मामले की जांच का निवेदन किया।

सीबीआई ने केस अपने हाथ में लेते हुए जज जांच शुरू की तो तकनीकी क इस्तेमाल किया। सीबीआई ने आरोपियों की धरपकड़ के लिए मुंबई, मुरादाबाद, सभल, जयपुर और कृष्णनगर में 12 ठिकानों पर छापे मारे।

इसके बाद मुरादाबाद और मुंबई से दो-दो आरोपियों, यानि कि चार सायबर ठगों को गिरफ्तार किया। इसकी जानकारी सीबीआई ने अपने अधिकारिक एक्स हैडल पर प्रेस नोट के जरिए दी।

इस मामले में जब शंभुनू आए जयपुर आइजी अजयपाल लांबा से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि यह मामला सीबीआई के पास है। इसलिए वे कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन यह मामला ना केवल शंभुनू या राजस्थान, बल्कि पूरे देश के चर्चित डिजिटल अरेस्ट के मामलों में से एक है। क्योंकि इसमें एक महिला प्रोफेसर को करीब तीन महीने तक सायबर ठगों ने डिजिटल अरेस्ट रखा और 42 ट्रांजेक्शन से 7 करोड़ 67 लाख रुपए की राशि ठग ली। राशि ना केवल भारत के, बल्कि विदेशी बैंक खातों में भी मंगवाई। डरी-सहमी महिला प्रोफेसर ने ना केवल अपने सारे बैंक खाते खाली करके पैसे सायबर ठगों को दे दिए। बल्कि सायबर ठगों की डिमांड पूरी करने के लिए बैंक से भी 80 लाख रुपए का लोन लेकर ठगों को भेज दिए। जिसके बाद महिला प्रोफेसर तनाव में भी चली गई थी।

कार्यालय नगर परिषद, जालोर (राज0)		
क्रमांक: नयज/ /स्टोर / 2025 / 569		दिनांक : 16.04.2025
--: ई निविदा सूचना संख्या 01 /2025-26 :-:		
यह नगर परिषद, जालोर द्वारा विभिन्न सामग्री कय एवं सेवाओं में इच्छुक एवं अनुमवी संवेदकों से निर्धारित प्रपत्र में ई-टेंडर प्रक्रिया के अन्तर्गत निविदाएं आमंत्रित की जाती है।		
उक्त ई-निविदा की सम्पूर्ण विवरण/शर्त ई-प्रोक्यूमेंट पोर्टल https://eproc.rajjasthan.gov.in व https://sppp.rajjasthan.gov.in/ पर देखी तथा डाउनलोड की जा सकती है।		
Total Works	05	
NIB CODE	DLB2526A0441	
राज.संवाद / सी / 25 / 893		आयुक्त, नगर परिषद, जालोर

RAJASTHAN HOUSING BOARD		
No. :- 16		Dated :- 16/04/2025
NIB : 01/2025-26		
Bids for 1. Development work for Mahi Apartment Sector-23, Pratap Nagar, Jaipur 2. Redevelopment of Sector-26, Shopping Center, Zone-266, Pratap Nagar, Sanganeer, Jaipur 3. SITC Work of EPABX System, CCTV, Surveillance System, Video Conference System and Fire Alarm with Three year AMC at CM Jan Sanjay Kendra, Mansarovar, Jaipur 4. External Electrification and Street Light work of Samardhi Apartment II MIG-A (G+2) 39 Nos. Flats at Sector-22, RHB, Pratap Nagar, Jaipur 5. 02 Year AMC of 11 KV Package Substation and LT Panels Installed at Coaching Hub, RHB, Pratap Nagar, Jaipur are invited from interested bidders for S.No. 1 from 22.04.2025 to 12.05.2025 and for S.No. 2 to 5 from 22.04.2025 to 01.05.2025 upto 6:00 PM. Other particular of bid may be visited on the procurement portal http://eproc.rajjasthan.gov.in , http://sppp.raj.nic.in of the state & http://urban.rajjasthan.gov.in/rhb Department/Website. UBN No. :- RHB2526WSOB000021 To 24 & 26		
UBN No. :- JOD202526GL0800020		अतिरिची अधिकृत, जालोर
राज.संवाद/ सी/ 25/ 893		जालोर विकास प्राधिकरण, जालोर

कार्यालय बीकानेर विकास प्राधिकरण, बीकानेर		
क्रमांक :- बीकानेर/रट/2025-26/528		रिक्त :- 09/04/2025
इ-निविदा सूचना संख्या - मुख्यालय/04/2025-26		
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की ओर से इच्छुक व्यक्ति/ फर्म/ संस्था जो निविदा की निर्धारित शर्तों को पूर्ण करती है से निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्यूमेंट प्रक्रिया से ऑनलाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है। इन कार्य की अनुमानित लागत, निविदा वेबे जाने तथा प्राप्त करने की दिनांक, निविदा, शर्त आदि सम्पूर्ण विवरण वेबसाइट www.jodhpurjda.org , www.eproc.rajjasthan.gov.in एवं www.sppp.raj.nic.in पर देखी जा सकती है।		
UBN No. :- JOD202526GL0800020		अतिरिची अधिकृत, जालोर
राज.संवाद/ सी/ 25/ 893		जालोर विकास प्राधिकरण, जालोर

कार्यालय नगर निगम, अजमेर		
दूरभाष-0145-249953, फैसल-0145-2433813, Email- ajmer-nm@gmail.com , www.ajmer-nm.org		
क्रमांक: HO/66		दिनांक :- 15.04.2025
निविदा-सूचना		
नगर निगम, अजमेर द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 (4 माह हेतु) की समयावधि के लिए सफाई संसाधन जे.सी.बी. किराये पर मय वाहन चालक, डीजल सहित उपलब्ध करने के कार्य हेतु ई-टेंडरिंग के माध्यम से बिड (निविदा) आमंत्रित की जाती है। NIB निम्नलिखित वेबसाइटों www.eproc.rajjasthan.gov.in एवं www.sppp.rajjasthan.gov.in डाउनलोड की जा सकती है।		
क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित व्यय
1	वित्तीय वर्ष 2025-25 (4 माह हेतु) की समयावधि के लिए सफाई संसाधन जे.सी.बी. किराये पर मय वाहन चालक, डीजल सहित उपलब्ध करने के कार्य हेतु।	89,79,000 /- 1,79,580 /-

निविदा शुल्क राशि	5,000 /- 1500 /-
आर.आई.एस.एल. प्रोसेसिंग फीस	
निविदा प्रपत्र प्रकाशन की दिनांक व समय	15.04.2025 साय: 5:00 बजे
निविदा प्रपत्र डाउनलोड करने की दिनांक व समय	15.04.2025 साय: 5:00 बजे से प्रारंभ
निविदा ऑनलाईन भरकर देने की दिनांक व समय	15.04.2025 साय: 5:00 बजे से प्रारंभ
निविदा ऑनलाईन भरकर देने की अंतिम दिनांक व समय	24.04.2025 प्रात: 9:00 बजे तक
तकनीकी निविदा खोलने की दिनांक व समय	24.04.2025 दोपहर 3:00 बजे तक
वित्तीय निविदा खोलने की दिनांक व समय	तकनीकी बिड के सकलतम निविदादाताओं को नेट के माध्यम से सूचित कर दिया जायेगा।
निविदा प्रपत्र डाउनलोड करने की वेबसाइट	www.eproc.rajjasthan.gov.in www.sppp.rajjasthan.gov.in
1. शेष शर्तों की जानकारी निम्नलिखित वेबसाइट पर देखी जा सकती है।	www.eproc.rajjasthan.gov.in www.sppp.rajjasthan.gov.in
स्वास्थ्य अधिकारी	उपायुक्त
राज.संवाद / सी / 25 / 908	नगर निगम, अजमेर



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पोकरण में “रिन्यू पावर” कम्पनी के 1.3 “गीगावॉट पीक” के सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा जैसलमेर में स्थापित इस सोलर प्लांट से राज्य में ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर किए जा रहे कार्यों को गति मिलेगी।

पोकरण में 1.3 गीगा वॉट पीक के सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन

सोलर प्लांट से राज्य में ऊर्जा के क्षेत्र में किये जा रहे कार्यों को गति मिलेगी-भजनलाल

पोकरण, 17 अप्रैल (निसं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान में सौर ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं। हमारी सरकार नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में विकास को लेकर प्रतिबद्धता से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हम सभी की सहभागिता से राजस्थान में ऊर्जा के क्षेत्र में हरित और उज्ज्वल भविष्य का निर्माण करेंगे, जिससे उत्कृष्ट और विकसित राजस्थान की संकल्पसिद्धि हो सके। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गुरुवार को पोकरण में “रिन्यू पावर” कम्पनी के 1.3 “गीगावॉट पीक” के सौर ऊर्जा संयंत्र के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तथा

■ **केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में एनर्जी क्षेत्र में बेहतरीन कार्य किया जा रहा है।**

केन्द्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी ने सोलर प्लांट की लोकार्पण पट्टिका का अनावरण कर उद्घाटन किया।

उन्होंने कहा कि जैसलमेर की सुनहरी धरा पर स्थापित इस सोलर प्लांट से राज्य में ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर किए जा रहे कार्यों को गति मिलेगी। इस सोलर प्लांट से पैदा होने वाली समस्त बिजली राजस्थान की वितरण कंपनियों को कम दरों पर उपलब्ध कराई जाएगी।

इससे उपभोक्ताओं को ऊर्जा निर्बाध रूप से मिल सकेगी तथा भविष्य की परियोजनाओं के लिए भी एक बेंचमार्क तैयार होगा। इस संयंत्र से 1500 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।

उन्होंने कहा कि सौर तथा पवन ऊर्जा उत्पादन को एकीकृत करने की दिशा में पहल करते हुए पश्चिमी राजस्थान में एक ग्रीन कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है। इसमें एक ग्रिड सब स्टेशन का नेटवर्क भी शामिल

है, जिससे 6311 मेगावाट हरित ऊर्जा उत्पादित होने का अनुमान है।

केन्द्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मंशानुसार, केन्द्र सरकार द्वारा लगातार ऊर्जा उत्पादन में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है।

इससे पहले, हैलीपेड पहुंचने पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने मुख्यमन्त्री स्वागत किया। इस अवसर पर ऊर्जा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हीरालाल नागर, विधायक महंत प्रतापपुरी, छोटसिंह भाटी, “रिन्यू एनर्जी” के सीईओ सुमंत सिन्हा व अन्य जनप्रतिनिधियों सहित अधिकारी उपस्थित थे।

1950 के दशक ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
वास्तविक नियंत्रण रेखा (एल. ए. सी.) पर भारी संख्या में सेना तैनात है। कई दौर की उच्च स्तरीय सैन्य वार्ताएं केवल धीरे-धीरे तनाव कम करने में सफल रही हैं, जबकि सीमा उल्लंघन की घटनाएं और क्षेत्रीय दावे बंद नहीं हुए हैं।

मुख्य अंतर यह है कि आज का भारत 1950 के दशक की आदर्शवादी सोच जितना भोला नहीं है। सन् 1962 के कटु अनुभव और हाल ही में 2020 की गलवान घाटी की खूनी झड़प ने नई दिल्ली को यह सिखा दिया है कि प्रतीकात्मकता एवं सांस्कृतिक पहल तभी सार्थक है, जब वे मूलभूत विवादों के समाधान के साथ जुड़ी हों। अब “एशियाई भाईचारे” को पुरानी भाषा का स्थान रणनीतिक सतर्कता ने ले लिया है, और भारतीय नीति निर्माता बीजिंग से आने वाले किसी भी कूटनीतिक संकेत को कहीं अधिक व्यवहारिक और सुरक्षा केन्द्रित दृष्टिकोण से देखते हैं।

फिर भी, चीन के दृष्टिकोण से देखें तो यह रणनीति उसी पुरानी सोच का अनुसरण करती लगती है कि जनता की सोच को नरम करने के लिए सांस्कृतिक कूटनीति, जनसंपर्क और आर्थिक प्रलोभनों का उपयोग करो, लेकिन सीमा पर कठोर रूख बरकरार रखो। यह, द्विपक्षीय संबंधों के माहौल को आकार देने, अंतर्राष्ट्रीय धारणाओं को मध्यम करने और स्थिरता के लिए आर्थिक हितों को बढ़ावा देने का प्रयास है, लेकिन वास्तविक रियायतें दिए बिना, जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।

इस अर्थ में, कोई यह तर्क दे सकता है कि यह “हिंदी-चीनी भाई-भाई” का आधुनिक लेन-देन वाला संकरण है, जिसमें 1950 के दशक की मासूमियत, आशावाद और आदर्शवाद नहीं है, और दोनों राष्ट्रों को इतिहास और वास्तविक राजनीति ने बहुत कठोर बना दिया है। नारे भले ही फीके पड़ गए हों, लेकिन अनुसूले विवादों और रणनीतिक प्रतिद्वंद्विता को छुपाने के लिए “साफ्ट पावर डिप्लॉमसी” का उपयोग आज भी जारी है, जो इस जटिल और असहज रिश्ते की पहचान है।

अब तक ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
पेश करने को कहा है। पिछली सुनवाई पर अदालत ने मामले में भारत सरकार को भी पक्षकार बनाने का निर्देश दिया था। जिस पर केन्द्र सरकार की ओर से एएसजी आरडी रस्तोगी उपस्थित हुए थे।

कच्चे मकान में आग लगने से भाई-बहन जिंदा जले

हादसे में झुलसे माँ-बाप चार में से दो बच्चों को ही आग से बाहर निकाल पाये

■ **घायल पिता प्रभुलाल की भाभी के अनुसार, मकान की छत पर झोपड़ी व तिरपाल लगा था। पास में बिजली के पोल पर तार टूट कर छत पर गिरा, जिससे घर में आग लग गई।**

साथ घर के अंदर भागे लेकिन दो ही बच्चों को बाहर निकाल सके। दो बच्चे उनकी आंखों के सामने ही आग में जल गए। माँ-बाप की चीख-पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने भी बच्चों को निकालने की कोशिश की लेकिन उन्हें

बचाया नहीं जा सका। हादसे में दो बच्चों, जीनल गमेती (14) और सिद्धार्थ गमेती (8) की मौत हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि बच्चों को पहचानना भी मुश्किल हो रहा था। घायल प्रभुलाल की भाभी गीता बाई ने बताया कि छत पर झोपड़ी और तिरपाल लगा था। पास में बिजली का पोल है जिसका तार छत पर टूट कर गिर गया। जिसके बाद घर में आग लग गई।

थानाधिकारी देवेन्द्र सिंह ने बताया कि घर में आग शॉर्ट सर्किट से लगी या पेट्रोल से लगी है, फिलहाल कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। दोनों नाबालिगों के शव का गुरुवार को खेरवाडा हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिए वहीं मृतक के माता-पिता का इलाज जारी है।

“राँ” के पूर्व मुखिया ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
पुस्तक की विषयवस्तु को “निराधार” तथा “गलतियों से भरी” बताया है। फारुक ने कहा, “आगर वे (दुलत) मुझे अपना मित्र मानते हैं, तो उन्हें यह पुस्तक लिखनी ही नहीं चाहिये थी। उन्होंने रानी एलिजाबेथ की प्रसिद्ध उक्ति को दोहराते

किस को लपेट लिया है। मैंने इस पुस्तक को पढ़ा है तथा उन्होंने बार-बार असत्य से काम लिया है।

दुलत ने अपनी पुस्तक में दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ हुई डॉ. फारुक एवं उमर अब्दुल्ला की मीटिंग का उल्लेख किया है, जो उनके

■ **पर, बात कुछ बिगड़ सी गई, डॉ. अब्दुल्ला के राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी डॉ. फारुख अब्दुल्ला पर इस मसले पर कई आरोप लगा कर, राजनीतिक लाभ लेने से नहीं चूक रहे हैं।**

■ **हार कर अब्दुल्ला को भी कहना पड़ा, कि अगर दुलत साहब मेरे मित्र हैं, तो उन्हें यह किताब नहीं लिखनी चाहिए थी।**

हुये कहा: “स्मृतियां भिन्न हो सकती हैं।”

डॉ. अब्दुल्ला की बेटी सफिया अब्दुल्ला खान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म “एक्स” पर कहा है: “दुलत सदैव एक जासूस रहे तथा उनकी निष्ठा केवल स्वयं के प्रति रही। अपनी पहले वाली पुस्तकों में उन्होंने इस बात की परवाह कभी नहीं की कि उन्होंने किस-

अनुसार, संसद में अनुच्छेद 370 को समाप्त करने वाले विधेयक के पारित होने से पहले हुई थी। जम्मू-कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद लोन ने कहा है, “ऐसा प्रतीत होता है कि 2024 में नैशनल कॉन्फ्रेंस की विधानसभा चुनावों में जीत, 2019 में दी गई उनकी सेवाओं का पुरस्कार था।

जल्द शुरु ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
यात्रा संचालित करने पर बातचीत हो रही है, प्रवक्ता ने कहा कि जल्दी ही नोटिस आने वाला है और मार्ग के बारे में जानकारी दी जाएगी।

उन्होंने भारत और चीन के बीच सीधी उड़ानें शुरू करने के बारे में एक सवाल के जवाब में कहा कि इस बारे में दोनों देशों के उड्डयन विभागों के बीच तकनीकी बातचीत जारी है और जैसे ही सहमति बनती है, वैसे ही जानकारी साझा की जाएगी।

भारत में चीन के राजदूत द्वारा एक्स पर पोस्ट में 85 हजार भारतीयों को वीजा देने जाने संबंधी दावे के बारे में एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जब संबंध सामान्य बनाने और जनता के बीच संपर्क बढ़ाने की बात होगी तो वीजा भी बढ़ेगा।

हालांकि उनके पास इसके बारे में कोई आंकड़ा नहीं है।

ट्रम्प प्रशासन की “रैसिप्रोकल” आक्रामक...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

हुए सरकार के लिए राजस्व का संभावित स्रोत बताया। नवारो ने कहा, टैरिफ इस देश के लिए राजस्व का बड़ा स्रोत बनेंगे, पर हम धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं करेंगे।

लेकिन रैसिप्रोकल टैरिफ के प्रति बाजार की प्रतिक्रिया काफी तीव्र व क्रूर थी। अमेरिकन शेयर बाजार गिर गया। व्यापारिक सहयोगी देशों ने जवाबी धमकियाँ दीं। अमेरिका व उसके व्यापारिक मित्रों के बीच बनाव चरम पर पहुँच गया। भारी एवं त्वरित विरोध के बाद राष्ट्रपति ट्रंप अंतर्राष्ट्रीय बाजारों व अपने ही लोगों के दबाव में आ गए और क्रियान्वयन के 13 घंटों में ही उन्होंने नई टैरिफ नीति के क्रियान्वयन को 90 दिन के लिए टाल दिया। यह निर्णय प्रशासन की आर्थिक टीम की आंतरिक खींचतान का प्रतीक बन गया।

अमेरिका के ट्रैजरी सचिव (वित्त मंत्री) स्कॉट बैसेट व अन्य उदारवादी आर्थिक सलाहकारों ने बार-बार चेतावनी दी थी कि आक्रामक टैरिफ नीति ग्लोबल स्पलाई चैन में बाधा बन सकती है और अमेरिका में महंगाई का संकट गहरा सकता है। लेकिन नवारो, जो कठोर रुख के हिमायती हैं, पर इसका जरा भी फर्क नहीं पड़ा और वे लगातार आक्रामक रुख पर जोर देते रहे, जबकि इसमें भारी खतरा है।

ट्रंप की ट्रेड नीति पर नवारो की छाप हमेशा विवादास्पद रही है। जहाँ समर्थकों ने स्थापित वैश्विक व्यापार प्रणालियों को चुनौती देने की उनकी तत्परता का समर्थन किया, खासकर बौद्धिक सम्पदा चोरी और जबरन तकनीकी हस्तान्तरण के मुद्दे पर चीन से टकराव के मामले में। लेकिन उनके आलोचकों, खासकर वे जो खुले बाजार

के समर्थक हैं, ने कहा कि नवारो का यकीन आर्थिक प्रीतियों से प्रेरित है। उन्होंने कहा, व्यापार घाटा अपने आप में नुकसानदेह नहीं होता और संरक्षणवादी उपाय कोमतें बढ़ा सकते हैं और अमेरिकी निर्यात पर प्रतिकार स्वरूप टैरिफ लग सकता है।

अंत में भले ही टैरिफ नीति को देरी व आंतरिक विरोध का सामना करना पड़ रहा है, पर ट्रंप के ट्रेड एजेंडा पर नवारो का गहरा असर कायम है और इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। आर्थिक राष्ट्रवाद और संरक्षणवादी व्यापार की सजा ट्रंप के कार्यकाल की पहचान रही थी, जिसका अमेरिका के व्यापारिक संबंधों पर स्थायी प्रभाव पड़ा है। आज भी वैश्विक व्यापार के भविष्य और आपस में जुड़ी हुई विश्व अर्थव्यवस्था में अमेरिका की भूमिका पर ट्रंप के विचारों को प्रभावित कर रहे हैं।

उपमुख्यमंत्री ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

धमकी देने का फोन किया और ना ही उनसे कोई मोबाइल या सिम बरामद हुई। वे अन्य आरोपियों से संपर्क में भी नहीं थे, उन्होंने आपराधिक षड्यंत्र भी नहीं रचा है, प्रकरण में झूठा फैसाया गया है। इसके विरोध में लोक अभियोजक लियाकत अली ने कहा कि आरोपियों ने संगठित अपराध कर प्रदेश के डिप्टी सीएम को मारने की धमकी दी है। जांच में आया है कि जुनैद ने स्वयं के नाम से सिम खरीदकर मोहम्मद अशराफ के साथ मिलकर केन्द्रीय कारागृह में बंद कैदी को सिम मुहैया कराई और अन्य आरोपियों ने इस सिम का उपयोग किया। दोनों पक्षों को बहस सुनने के बाद अदालत ने आरोपियों को जमानत देने से इनकार करते हुए उनकी जमानत अर्जियों को खारिज कर दिया है।

रोकी। इसके बाद पुनः जनवरी माह में याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले से निचली अदालत को अवगत कराया।

इसके बावजूद भी निचली अदालत मामले में कार्रवाई जारी रख रही है। याचिका में यह भी कहा गया कि पूजा करने के अधिकार के मुद्दे पर सिविल कोर्ट को सुनवाई का अधिकार नहीं है। वहीं दावाकर्ता ने बहुत कम कोर्ट फीस के साथ दावा किया है। इसलिए निचली अदालत को मामले की सुनवाई करने से रोका जाए। केंद्र सरकार की ओर से एएसजी राजदीपक रस्तोगी ने कहा कि याचिकाकर्ता दावे में पक्षकार नहीं है, ऐसे में वह हाईकोर्ट में याचिका दायर नहीं कर सकता। दोनों पक्षों को बहस सुनने के बाद अदालत ने मामले की सुनवाई एक सप्ताह के लिए टाल दी है।

केन्द्रीय सरकार के वादे के बाद सुप्रीम...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
शामिल करने तथा विवादास्पद वक्फ भूमि की स्थिति बदलने के लिए कलैक्टर को दिए गए अधिकारों से संबंधित है।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने गुरुवार को कहा कि, प्रारंभिक रूप से या कुछ खास भागों को पढ़कर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रोक लगाना अनुचित होगा।

उन्होंने कहा, हम आपको कानून के इतिहास में ले चलते हैं। लगभग 100 साल पहले 1923 में यह कानून बना या फिर 1935 में फिर 1954 में बना, उसके बाद 1987 में संशोधन हुआ। फिर 1995 में एक समिति का सुझाव आया और संशोधन हुआ। इसी बीच हम सरकार व संसद के रूप में जनता के प्रति जवाब दे रहे हैं। हमें लाखों लोगों ने अपने सुझाव, जिनके आधार पर कुछ प्रावधान

किए गए हैं।

उन्होंने कहा, उदाहरण के लिए गाँव के गाँव वक्फ के रूप में ले लिए गए हैं। लोगों की प्राइवेट सम्पत्ति भी वक्फ के रूप में ले ली गई है और जब वे मुद्दे हाई कोर्ट में गए तो हाई कोर्ट ने कहा ये विवादास्पद सवाल हैं, इस पर कानून की जरूरत है। उन्होंने कहा, यह ऐसा मामला है जिसके कोर्ट को सहायता की जरूरत होगी, क्योंकि यह बड़ी संख्या में लोगों को जमीन पर व सम्पत्ति पर उनके अधिकार को प्रभावित करेगा।

जब जस्टिस संजय कुमार ने कहा, कोर्ट अभी निर्णय नहीं ले रहा तो मेहता ने कहा, लेकिन आप बहुत गंभीर और कठोर कदम उठा रहे हैं। आंशिक रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से स्टे लगाकर।

मेहता ने कहा, मेरा निवेदन है कि

मुझे एक सप्ताह दिया जाए मैं वादा करता हूँ, एक सप्ताह के भीतर मैं कोर्ट में अपना जवाब पेश कर दूँगा। यह ऐसा मामला नहीं है जिस पर इस तरह के विचार किया जा सके।

सीजेआई खन्ना ने कहा, “हो सकता है, कुछ विसंगतियाँ हो, पर हमने कहा है कि कुछ सकारात्मक बातें हैं मैं स्पष्ट कर दूँ कि किसी ने कहा था कि पूर्ण रोक लगाई जाए। हमने कब नहीं, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। पर इसी के साथ हम नहीं चाहते हैं कि मौजूदा स्थिति में बदलाव हो। हम नहीं चाहते कि अभी जो स्थिति है, उसमें इतना बदलाव कर दिया जाए कि उसका प्रभाव भारी पड़े।

इसमें कुछ प्रावधान हैं जैसे वही व्यक्ति वक्फ बना सकता है जो 5 साल से इस्लाम धर्म का पालन कर रहा है। हम

इस पर स्टे नहीं लगा रहे हैं।

आप का कहना सही है कि कोर्ट का मुख्य नियम है कि वे किसी भी कानून पर प्रारंभिक अवस्था में रोक नहीं लगा सकते हैं। पर एक अन्य नियम यह भी है कि कोई मामला कोर्ट में विचाराधीन है तो यथास्थिति बनी रहनी चाहिए।

मेहता ने फिर कोर्ट को “वक्फ बाय यूजर” के प्रावधान पर और वक्फ बोर्ड व काउन्सिल में नियुक्तियों के संबंध में भरोसा दिलाया।

गुरुवार ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

वास्तविक बाँस हैं तथा वे ही यह निर्णय लेते हैं कि कौन सी एजेंसी किस नेता के पीछे पड़ेगी।

UP TO **50% OFF**

ON MAKING CHARGES* THIS SEASON

KALYAN SPECIAL | GOLD RATE ₹8815** | SAVE ₹225*** | MARKET | GOLD RATE ₹9040***

OPEN ON ALL DAYS

JAIPUR: AJMER ROAD - CRM NO.: 73405 61233, VAISHALI NAGAR - CRM NO.: 91158 03333 | UDAIPUR - CRM NO.: 88756 78133

JODHPUR - CRM NO.: 94133 12103 | KOTA - PH: 91459 50033 | BIKANER - PH: 80033 93933

SRI GANGANAGAR - CRM NO.: 74249 65433 | AJMER - CRM NO.: 77424 13156

FOR MORE DETAILS CONTACT US ON TOLL FREE NUMBER: 1800 425 7333 | WWW.KALYANJEWELLERS.NET | FOLLOW US ON

BUY ONLINE @ WWW.CANDERE.COM | FOR FRANCHISE ENQUIRIES WRITE TO FRANCHISEE.ENQUIRY@KALYANJEWELLERS.NET

राष्ट्रदूत (एचयूपीएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू (राज.) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. **RAJHIN/2009/28296** जयपुर कार्यालय: सुघर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032, फैक्स: 0744-2386033, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान इलाहा, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, जयपुर कार्यालय: आयड मैं रोड आयड, जयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय : राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स: 0145-2624665, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रियल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 **हिण्डुनिसिटी कार्यालय** :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिन्दीनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600

